

कार्यालय आदेश

बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल संख्या - 2, खगडिया अन्तर्गत बसुआ स्थल पर बाढ़-2011 के ऐजेण्डा संख्या- 107/165 के तहत कटाव निरोधक कार्य हेतु संवेदक श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+ पो0- सन्हौली, जिला- खगडिया को दिनांक- 25.01.11 को आवंटित किया गया एवं दिनांक- 28.01.11 को एकरारनामा हुआ। एकरारनामा के अनुसार, कार्य प्रारंभ की तिथि तथा कार्य समाप्ति की तिथि - 28.01.11 एवं 15.05.2011 क्रमशः निर्धारित की गई।

2. कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 15.05.2011 तक कार्य की प्रगति अस्सी प्रतिशत से कम रही। दिनांक 03.07.11 को अध्यक्ष बाढ़ संघर्षात्मक दल के निरीक्षण के क्रम में मुख्य अभियंता की उपस्थिति में कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा जो भी कार्य किया गया वह अपूर्ण था और नदी का जल स्तर बढ़ने पर आऊट फ्लैक कर गया।

3. संवेदक श्री सिंह का उक्त कृत्य बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली- 2007 के नियम - 11 (क) (ii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में पाते हुए उनसे विभागीय पत्रांक- 3398 दिनांक- 18.07.14 द्वारा कारण पृच्छा की गई। श्री सिंह से कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त नहीं होने पर पत्रांक- 5469 दिनांक- 05.11.14 द्वारा द्वितीय कारण- पृच्छा किया गया। श्री सिंह संवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद उक्त के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

4. अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+ पो0- सन्हौली, जिला- खगडिया को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि तक कार्य पूरा नहीं करने के लिए दोषी मानते हुए बिहार संवेदक निबंधन नियमावली के नियम - 11 (ग) एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 4104(ई0) दिनांक- 28.10.09 के तहत उनके निबंधन संख्या- 1167/2010 (श्रेणी- तृतीय) को अगले दो वर्षों के लिए निलम्बित किया जाता है।

(रामपुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य)।

जापांक- 11/विविध-06-05/2014-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+ पो0- सन्हौली, जिला- खगडिया, पिन- 851205 को सूचनार्थ प्रेषित।

(रामपुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य)।

जापांक- 11/विविध-06-05/2014-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामपुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य)।

जापांक- 11/विविध-06-05/2014-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रामपुकार रंजन)


अभियंता प्रमुख(मध्य) ।

जापांक- 11/विविध-06-05/2014-

6583

पटना, दिनांक- 22.12.14

प्रतिलिपि:- श्री गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक- 626 दिनांक- 23.05.14 के प्रसंग में/आई0 टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
(रामपुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य) ।

②

आइ0 टी0 मैनेजर